न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

रिफरेन्स प्र0 क0 1069–तीन/2005.

मध्यप्रदेश शासन,
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग,
छमोह, म0प्र0

——— आवेदक

विरूध्द

डायमंड सीमेंन्ट प्रोप्रा. मैसूर सीमेंट्स लिमि.
पो. नरसिहगढ जिला दमोह, म0प्र0

—— अनावेदक

श्रीमती रजनी वशिष्ट, पैनल अभिभाषक – आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावदेक

आदेश

(आज दिनांक 1–5– 2014 को पारित)

यह रिफरेंस आवेदनपत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे केवल स्टाम्प अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(2) के अन्तर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, दमोह व्दारा प्रस्तुत किया गया है।

2/ कलेक्टर आफ स्टाम्प ने आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अनावेदक के पक्ष में म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, दमोह व्दारा निष्पादित खनिज पट्टा का निष्पादन कर उप–पंजीयक कार्यालय दमोह में अनुकमांक 2917 दिनांक 1.8.1975 को पंजीबध्द हुआ। इस विलेख में 31.7.1975 से 30.7.1995 तक 20 वर्ष का पट्टा था जिसे 30–7–1995 के बाद नवीनीकरण

कराया जाना था। इस हेतु अनावेदक व्दारा मिनरल कंसेशन रूल 1960 के नियम 24 ए(1) के अन्तर्गत नवीनीकरण हेतु 31.7.1995 से आगामी 20 वर्षों हेतु 25.7.1994 को आवेदनपत्र कलेक्टर, दमोह के माध्यम से म.प्र.शासन को प्रस्तुत किया। आवेदन स्वीकृति की प्रत्याशा में नियम 24 ए(6) के प्रावधानानुसार अनावेदक पट्टागृहिता पट्टा अधिकारों एवं दायित्वों का आज तक निर्वहन करता आ रहा है अर्थात अनावेदक व्दारा कब्जा जारी रख कर उत्खनन कार्य जारी है और रायल्टी स्वीकार की जा रही है, मॉग की जा रही है, नियमानुसार निरीक्षण किये जा रहे हैं, किन्तु पट्टा विलेख का नवीनीकरण, निष्पादन, मुद्रांकन एवं पंजीयन विधि अनुसार नहीं हुआ है। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प व्दारा निम्नांकित मुद्दे निर्धारण हेतु प्रस्तुत किये हैं–

1– क्या दिनांक 25.7.1994 का अवधि बढ़ाने का आवेदनपत्र अन्य अनुषांगिक साक्ष्य के साथ तथा खनिज नियमावली नियम 24ए(6) के परिप्रेक्ष्य में स्टाम्प एक्ट की धारा 2 की उपधारा (14),(16) के अन्तर्गत इन्सूमेन्ट होकर पट्टा विलेख है ?

2– क्या खनिज नियमावलि के नियम 31(2) के परिप्रेक्ष्य में पट्टा गृहीता को अनिश्चित काल के लिये बिना पट्टा विलेख संपादित कराये स्टाम्प अधिनियम, पंजीयन अधिनियम एवं संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की अनुमति दी जाना चाहिये ?

3– क्या बिना मुद्रांक शुल्क चुकाये किसी व्यक्ति को पट्टा अधिकारों का उपयोग करने की अनिश्चित काल तक अनुमति ज्ञेय है ?

4– स्टाम्प एक्ट की धारा 33, 40 व 48 बी के अन्तर्गत मूल विखत के अभाव में राज्य शासन को उसके वाजिब राजस्व से वंचित किया जाना उचित है ?

5- Instrument और Transcation के बीच क्या एवं किस प्रकार का संबंध है।

3/ अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक का दिनांक 25–07–1994 को नियम 24ए(1) के तहत अवधि बढ़ाने का आवेदनपत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (14)(16) के तहत एक लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट) नहीं है क्योंकि एम एम आर डी ए एक्ट एक विशिष्ट अधिनियम है, जबकि भारतीय स्टाम्प एक्ट एक साधारण अधिनियम है जो कि विशिष्ट अधिनियम को अधिभारित (ओव्हरराईट) नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि 24ए(1) के तहत दिया गया कोई आवेदनपत्र किसी अधिकार का सृजन नहीं करता। यह आवेदनपत्र मात्र एक अनुरोध पत्र किया जा सकता है और ऐसे अनुरोधपत्र को स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14)(16) के तहत एक लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट) मान्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक व्दारा दिये गये उक्त अनुरोध पत्र को म0प्र0शासन व्दारा दिनांक 31.07.1995 को स्वीकार किया जाकर लीज अवधि बढ़ायी जा चुकी है तथा इस अवधि की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अनावेदक व्दारा अदा किया जाकर नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है जिससे यह प्रमाणित है कि अनावेदक पर अब कोई बकाया शुल्क या कर बाकी नहीं है। मध्यप्रदेश शासन व्दारा अनावेदक की लीज अवधि बीस वर्षों के लिये बढ़ा दी गयी है जिस विषयक सम्पूर्ण शुल्क अनावेदक व्दारा अदा किया जा चुका है। अतः रिफरेन्स औचित्यहीन (इन्फक्युअस) हो चुका है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अनावेदक व्दारा खनिज नियमावली नियम 24ए(1) के तहत नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र अनावेदक व्दारा नियम 24ए(6) के तहत उत्खनन कार्य किये जाने से स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14)(16) के तहत एक लिखत

इंस्ट्रूमेन्ट) है अथवा नहीं ? अनावेदक का तर्क है कि यह मात्र अनुरोध पत्र है जिसे स्वीकार करने या ना करने का विवेकाधिकार पट्टादाता को है, इसलिये इसे लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट) नहीं माना जा सकता। इस संबंध में उनके व्दारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक व्दारा दिये गये उक्त अनुरोध पत्र को म0प्र0शासन व्दारा दिनांक 31.07.1995 को स्वीकार किया जाकर लीज अवधि बढ़ायी जा चुकी है तथा इस अवधि की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अनावेदक व्दारा अदा किया जाकर नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ऐसी दशा में कलेक्टर आफ स्टाम्प को इस तथ्य पर विधिवत जॉच कर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये कि क्या म0प्र0शासन व्दारा प्रश्नाधीन पट्टा विलेख की लीज अवधि 31–7–95 को बढ़ायी जाने पर अनावेदक व्दारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क जमा किया जा चुका है ? तो यह रिफरेन्स औचित्यहीन (इन्फक्चुअस) हो जाता है और यदि अनावेदक का प्रश्नाधीन पट्टा विलेख की लीज अवधि नहीं बढायी गयी है और अनावेदक व्दारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और अनावेदक व्दारा नियम 24ए(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर नियम 24ए(6) के अन्तर्गत खनिज विभाग व्दारा पट्टाग्रहिता को उत्खनन कार्य जारी रखने आदि की अनुमति प्रदाय कर रायल्टी आदि प्राप्त की गयी है तो तत्संबंधी खनिज विभाग का आदेश/ज्ञाप प्राप्त कर स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत उसे लिखत (Instrument) मानकर विधिवत कार्यवाही की जा सकती है।

6/ उपरोक्तानुसार रिफरेन्स आवेदन का निराकरण किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0